

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

दि० न० 221 / 2026

1. निखिल पुत्र सुमेरसिंह] जाति राजपूत निवासीयान 2 केएसपी तहसील टिब्बी
2. सुमेरसिंह पुत्र तेजूसिंह] जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. तेजूसिंह उर्फ तेजपाल सिंह) पुत्र मुकन्द सिंह जाति राजपूत निवासी 2 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. कमला पुत्री तेजूसिंह पत्नी कल्याणसिंह
3. सुमनदेवी पुत्री तेजूसिंह पत्नी रामपाल सिंह
4. निर्मला देवी पुत्री तेजूसिंह पत्नी मदनसिंह
5. सुनिता कंवर पुत्री तेजू सिंह पत्नी विजेन्द्रसिंह
6. संतोष कंवर पुत्री तेजू सिंह पत्नी भागीरथ
7. नेन्सी कंवर
8. अंकिता
9. आयूशी पुत्रीयों] सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासीयान 2 केएसपी तहसील
10. निकिता टिब्बी] जिला हनुमानगढ।


जाति राजपूत निवासीयान सोहासरां भिवानी
जाति राजपूत निवासी राजगढ, जिला चुरू।
निवासी सोहासरां भिवानी।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महावीर वर्मा व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- चक नं० 1 केएसपी बी के खाता सं० 34/29 में कुल 5.060 है० भूमि मे से वादीसं० 1 निखिल को 1.265 है० कृषि भूमि तथा वादीसं० 2 सुमेरसिंह को 3.795 है० हिस्सा आराजी के खातेदार काशतकार घोषित किया जाते है व चक न० चक नं० 1 केएसपी बी के खाता सं० 34/29 मे से तेजपाल सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/5/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।